लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 724
जिसका उत्तर बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को दिया जाएगा

मांसाहारी उत्पाद पर हलाल प्रमाणीकरण

724. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर: श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे: श्री नारणभाई काछड़िया: श्री दिलीप शइकीया: श्री बिद्युत बरन महतो: श्री देवजी पटेल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कतिपय निजी निकायों को देश में बिक्री के साथ-साथ अन्य देशों, विशेषकर इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों पर हलाल प्रमाणन जारी करने के लिए अधिकृत/अधिदेशित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उन्हें क्या अधिदेश दिया गया है;
(ग) यदि नहीं, तो ऐसे अनधिकृत हलाल अनुज्ञप्ति की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) : राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) ने हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई-सीएएस) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 17065 के अनुसार निम्नलिखित निजी प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान की थी:

1. हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ (एचएएसआईएल) बोर्ड, लखनऊ
2. जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, नई दिल्ली
3. जेयूएचएफ सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

उपर्युक्त तीन निजी निकायों को एनएबीसीबी द्वारा दिये गये प्रत्यायन का विस्तृत क्षेत्र क्रमशः **अनुलग्नक I, अनुलग्नक II** और **अनुलग्नक III** में उल्लिखित है।

(ख) से (घ) : विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 6 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 03/2023 के माध्यम से एनएबीसीबी को "हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई-सीएएस)" के तहत मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल प्रमाणन निकायों को मान्यता देने और भारत में अनधिकृत हलाल प्रमाणपत्रों को कम करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया है। दिनांक 06.04.2023 की अधिसूचना की एक प्रति **अनुलग्नक IV** में संलग्न है। इसके अलावा, दिनांक 17 जनवरी, 2023 के डीजीएफटी व्यापार नोटिस संख्या 25/2022-23 के अनुसार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) को मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल प्रमाणीकरण के उद्देश्य से समग्र निगरानी एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया।

भारत में अनधिकृत हलाल प्रमाणीकरण को कम करने के लिए निम्न उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- सभी मांस और मांस उत्पादों को "हलाल प्रमाणित" के रूप में निर्यात किया जाना चाहिए, यदि इसे भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (आई-सीएएस) -हलाल के तहत एनएबीसीबी, क्यूसीआई द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र के तहत उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो।
- उन देशों में निर्यात खेप जहां हलाल पर कानून है, निर्माता/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयातक देश के कानून का पालन करना होगा और हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र रखना होगा।
- प्रमाणन निकाय आई-सीएएस-हलाल के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

*****

अनुलग्नक- I

''मांसाहारी उत्पाद पर हलाल प्रमाणीकरण'' के संबंध में श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री देवजी एम पटेल द्वारा 07.02.2024 को पूछे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पी सी 025	हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ (एचएएसआईएल) बोर्ड
संपर्क व्यक्ति	मोहम्मद मोअज्जम
पदनाम	महासचिव
टेलीफोन	+91-8299157668
फैक्स	
ईमेल आईडी	hasil17065@gmail.com
वेबसाइट	www.hasilboard.com
से वैध	31 अगस्त 2021
तक वैध	30 अगस्त 2024
प्रत्यायन मानक	आईएसओ/आईईसी 17065:2012

आईएएफ दायरा	दायरे में आने वाले उत्पाद/प्रसंस्करण	स्कीम का विवरण	मानक दस्तावेज़ (मानक/विनियम) आदि
03 **खाद्य उत्पाद**	हलाल खाद्य उत्पादों का उत्पादन, तैयारी, प्रबंधन और भंडारण	प्रमाणीकरण स्कीम हलाल-ए-हासिल अंक 04, संशोधित 02 दिनांक 01 जनवरी 2021	विनिर्माण में उत्पाद प्रमाणन के लिए एफएसएसएआई लाइसेंसिंग विनियमों और एफएसएसएआई नियमों के तहत निर्धारित उत्पाद विनियमों की अनुसूची 4 के साथ पठित एमएस 1500:2019
	हलाल खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण	प्रमाणीकरण स्कीम हलाल-ए-हासिल अंक 04, संशोधित 02 दिनांक 01 जनवरी 2021	विनिर्माण के अलावा अन्य प्रक्रिया प्रमाणन के लिए एफएसएसएआई लाइसेंसिंग विनियमों की अनुसूची 4 के साथ पठित एमएस 1500:2019
	हलाल खाद्य उत्पाद	जीएसओ 2055- 1:2015 के संबंध में प्रमाणीकरण की स्कीम हलाल भोजन: सामान्य आवश्यकताएँ	जीएसओ 2055-2:2021 - हलाल प्रमाणन निकायों के लिए सामान्य आवश्यकताएँ
	हलाल मांस एवं मांस उत्पाद	हलाल उत्पादों के लिए भारत अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (आई-सीएएस) (मार्च 2023)	भाग-ग "हलाल प्रमाणन निकायों के लिए आवश्यकताएँ" https://qcin.org/i-cas
	1. एचएससी 0201-गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और ठंडा		

	2. एचएससी 0202-गोजातीय पशुओं का मांस, ठंडा		
	3. एचएससी 0204-भेड़ या बकरी का मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ		
	4. एचएससी 0206-गोजातीय/जानवरों, भेड़, बकरी, ताजा ठंडा या जमे हुए का खाद्य ओफल		
	5. एचएससी 0207-शीर्ष संख्या 01.05 की पोल्ट्री का मांस और खाद्य ओफल, ताजा ठंडा या जमे हुए		
	6. एचएससी 0210-मांस/खाद्य मांस ओफल, साल्टेड , इन ब्राइन, ड्राइड स्मोक्ड; खाद्य आटा और मांस/ मांस ऑफल मील्स		
	7. एचएससी 1601 - सॉसेज और मांस, मीट ऑफल के समान उत्पाद, इन उत्पादों के आधार पर भोजन तैयार करना		
	8. एचएससी 1602 - अन्य तैयार या संरक्षित मांस, ऑफल		

अनुलग्नक- II

''मांसाहारी उत्पाद पर हलाल प्रमाणीकरण'' के संबंध में श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री देवजी एम पटेल द्वारा 07.02.2024 को पूछे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पी सी 034	जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट
पता	1, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, भारत
संपर्क व्यक्ति	श्री नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी
पदनाम	सीईओ
टेलीफोन	+91-9312228470, +91-9811570946
फैक्स	+91-9312228470, +91-9811570946
ईमेल आईडी	jamiathalaltrust@gmall.com
वेबसाइट	https://www.JamlatalaItrust.org/
से वैध	08 अगस्त 2023
तक वैध	07 अगस्त 2026
प्रत्यायन मानक	आईएसओ/आईईसी17065:2012

आईएएफ दायरा	दायरे में आने वाले उत्पाद/प्रसंस्करण	स्कीम का विवरण	मानक दस्तावेज़ (मानक/विनियम) आदि
आईएएफ दायरा 03	मांस एवं मांस उत्पाद 1. एचएससी 0201 - गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और ठंडा 2. एचएससी 0202-आर गोजातीय पशुओं का मांस, जमा हुआ 3. 3. एचएससी 0204 - भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ 4. एचएससी 0206 - गोजातीय पशुओं, भेड़, बकरी का ओफल , ताज़ा ठंडा या जमा हुआ 5. एचएससी 0207 - शीर्ष संख्या 01.05 के पोल्ट्री का मांस और खाद्य ओफल , ताजा, ठंडा या जमा हुए 6. एचएससी 0210-मांस/खाद्य मांस ओफल, साल्टेड , इन ब्राइन, ड्राइड स्मोक्ड; खाद्य आटा और मांस/ मांस ऑफल मील्स 7. एचएससी 1601 - सॉसेज और मांस, मीट ऑफल के समान उत्पाद, इन उत्पादों के आधार पर भोजन तैयार करना 8. एचएससी 1602 - अन्य तैयार या संरक्षित मांस, ऑफल	हलाल उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (आई –सीएएस) (मार्च 2023)	भाग-ग "हलाल प्रमाणन निकायों के लिए आवश्यकताएँ" https://qcin.org/i-cas

अनुलग्नक III

‘‘मांसाहारी उत्पाद पर हलाल प्रमाणीकरण’’ के संबंध में श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री देवजी एम पटेल द्वारा 07.02.2024 को पूछे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीसी 037	जेयूएचएफ सर्टिफिकेशन प्रा लिमिटेड
पता	भूतल, खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट, इमामवाड़ा रोड, उमरखाडी, चिंचबंदर, मुंबई - 400009, महाराष्ट्र, भारत
संपर्क व्यक्ति	श्री गिटार अहमद आज़मी
पद का नाम	निदेशक
टेलीफोन	+91-9321222774
फैक्स	
ईमेल आईडी	contact@halalhind.com
वेबसाइट	www.halalhind.com
से वैध	
तक वैध	22 नवंबर 2023
प्रत्यायन मानक	21 नवंबर 2026

आईएएफ दायरा	दायरे में आने वाले उत्पाद/प्रोसेसेस	स्कीम का विवरण	मानक दस्तावेज़ (मानक/विनियम) आदि
आईएएफ दायरा 03	हलाल मांस एवं मांस उत्पाद	भाग-ग "हलाल प्रमाणन निकायों के लिए आवश्यकताएँ" https://qcin.org/i-cas	हलाल उत्पादों के लिए अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम (आई –सीएएस) (मार्च 2023)
खाद्य उत्पाद (फूड चाम श्रेणी सीवी - स्लॉटर हाउस)	1.एचएससी0201 - गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और ठंडा 2. एचएससी 0202 - गोजातीय पशुओं का मांस, जमा हुआ 3. एचएससी 0204 - भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, ठंडा या जमा हुआ 4. एचएससी 0206 - गोजातीय पशुओं, भेड़, बकरी का ओफल, ताजा ठंडा या जमा हुआ 5. एचएससी 0207 – शीर्ष संख्या 01.05 की पोल्ट्री का मांस और खाद्य ओफल, ताजा ठंडा या जमा हुआ		

अनुलग्नक IV

‘‘मांसाहारी उत्पाद पर हलाल प्रमाणीकरण’’ के संबंध में श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री दिलीप शइकीया, श्री विद्युत बरन महतो, श्री देवजी एम पटेल द्वारा 07.02.2024 को पूछे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 724 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

सं. 03/2023

विषय : मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

का.आ. 1677(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मांस और मांस उत्पादों हेतु नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है:

2. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु शामिल किए गए उत्पाद निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तुएं	नीतिगत शर्त
1	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस ताजा और प्रशीतित	1. मांस और मांस उत्पादों को ‘‘हलाल प्रमाणित’’ के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब समय–समय पर जारी किए गए/संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन
2	0202	गोवंशीय पशुओं का मांस, हिमित	
3	0204	भेड़ या बकरी का मांस, ताजा, प्रशीतित या हिमित	

4	0206	गोवंशीय पशुओं, भेड़, बकरी, के खाद्य उत्पाद ताज़ा प्रशीतित या हिमित	बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा विधिवत मान्यता-प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किए गए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के भारत अनुरुपता मूल्यांकन स्कीम (आई–सीएएस)–हलाल ‘‘के तहत वैध प्रमाणीकरण वाली सुविधा में इन्हें उत्पादित, संसाधित और/या पैक किया गया हो। आई–सीएएस हलाल और दिशानिदशों को https://qcin.org/i-cas पर देखा जा सकता है। गैर–हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात हेतु प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।
5	0207	शीर्षक सं. 01.05 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशेष, ताज़ा प्रशीतित या हिमित	
6	0210	मांस/खाद्य योग्य मांस के साल्टयुक्त, इन–बाइन ड्रायड/स्मोक्ड मांस/मांस अवशेष के खाद्य योग्य फ्लोर्स और भोजन	
7	1601	मांस के सॉसेज और इसी तरह के उत्पाद, मांस के उत्पाद, इन उत्पादों के आधार पर खाद्य विनिर्मितियां	2. उन देशों को निर्यात खेप (खेपों) जहां हलाल पर विनियमन है; निर्माता/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक को आयातक देश की आवश्यकता/विनियमों को भी पूरा करना होगा, जैसा कि लागू हो, और आयातक देश की राष्ट्रीय हलाल प्रणाली के तहत अनुमोदित हलाल प्रमाणन निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्रों) को धारित करना होगा। ऐसे मामले में, आई–सीएएस–हलाल के तहत हलाल प्रमाणन प्रारंभ में निर्माता/आपूर्तिकर्ता/निर्यातक की ओर से स्वैच्छिक होगा।
8	1602	अन्य विनिर्मितियां या परिरक्षित किया हुआ मांस, अवशेष	

			4. एपीडा द्वारा विकसित मांस निर्यात के लिए समर्पित और एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए सभी मौजूदा निर्यात इकाइयों, जिनमें पहले से एपीडा के सदस्य के रुप में पंजीकृत इकाइयां शामिल है के पास इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह का समय होगा। 5. तथापि निर्यात समय–समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी/संशोधित विदेश व्यापार नीति के अधीन होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु नीतिगत शर्तों को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/ईसी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

*****